आवंटन,
आयोजनागत–अनुदान सं0–83
तेरह अंको का कोड–2515007890401

प्रेषक,

निदेशक, पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।

सेवा मे,

समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी,
(मिर्जापुर तथा सन्तरविदासनगर जनपदों को छोड़कर)
उत्तर प्रदेश।

संख्या– 1/शा0/84 /2012–1/07/2012 : लखनऊः दिनांक 26 सितम्बर, 2012

विषयः चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष सफाई कर्मचारियों के वेतनादि के भुगतान हेतु अनुदान संख्या–83 के अधीन लेखाशीर्षक 2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–आयोजनागत –789–अनुसूचित जाति के लिये विशेष घटक योजना– 04–पंचायतीराज संस्थायें–0401–सफाई कर्मचारी अधिष्ठान के अन्तर्गत व्यय हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपयुर्क्त विषयक विशेष सचिव, बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या–318/26ब0प्र0–2012–25/2012, दिनांक 16 अगस्त, 2012 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 के सफाई कर्मचारियों के अधिष्ठान मद में व्यय हेतु संलग्न तालिका के अनुसार **₹ 4266186949/– (₹ चार अरब छब्बीस करोड़ इकसठ लाख छियासी हजार नौ सौ उनचास मात्र)** की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित की जाती है:–

1– उक्त आवंटित धनराशि का व्यय केवल अनुसूचित जाति के सफाई कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए किया जायेगा। इससे इतर व्यय के लिए आहरण वितरण अधिकारी उत्तरदायी होगें, धनराशि व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी0–1–1515/दस–2012–231/12 दिनांक 09 जुलाई, 2012 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2– उक्त धनराशि का व्यय एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 के लिए योजना आयोग भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा निर्देशो के अनुसार किया जायेगा।

3– आवंटित धनराशि का व्यय किसी ऐसे मद में कदापि न किया जाय जिसके लिये वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा उ0प्र0 बजट मैनुअल के अन्तर्गत शासन या सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व सहमति आवश्यक है। ऐसे व्यय शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति व सहमति प्राप्ति करने के उपरान्त ही किया जाये। आपको पुनः स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त धनराशि की प्राप्ति की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय कदापि न किया जाय। व्यय आवंटित धनराशि तक ही सीमित रखा जाय। किसी प्रकार के अधिक व्यय के लिये अथवा अनाधिकृत व्यय के लिये आहरण एवं वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगें। बजट की किसी भी ऐसी प्राथमिक इकाईयां लेखाशीर्षक के सापेक्ष व्यय न किया जाये जिसके लिये बजट में प्राविधान नहीं है।

4– वेतन भत्ते आदि का आहरण केवल सृजित पदों के सापेक्ष ही किया जाय। नियमानुसार अनुमन्य धनराशि ही वेतन मद में आहरित की जाये। गलत तथा अधिक आहरण के लिये आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगें। आहरण तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर ही किया जाये। यह भी ध्यान रहे कि धनराशि का आवंटन मात्र किसी भी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है। आहरण के पूर्व अन्य संगत वित्तीय नियमों/निर्देशों का भी कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

5– सामान्यतः बिना निदेशालय की अनुमति प्राप्त किये कोषागार नियम 27 से कोई आहरण न किया जाय।

6– कोषागार से आहरित धनराशि का विवरण प्रत्येक माह बी0एम0–4 पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाये। बी0एम0–4 पर बने सभी कालम अवश्य भरें जाए तथा विवरण में कोषागार वाउचर संख्या तथा दिनांक एवं धनराशि का उल्लेख अवश्य किया जाय।

7– आहरण वितरण अधिकारी को बजट अगली बार तभी आवंटित किया जायेगा जब उपयुर्क्तानुसार बी0एम0–4 पर सूचना तथा अतिरिक्त बजट का औचित्य प्राप्त हो जाय।

8– यदि बी0एम0–4 पर सूचना नियमित एवं समयबद्ध रूप से नहीं भेजी जाती है तो गबन आदि की कोई भी घटना होने पर संबंधित आहरण वितरण अधिकारी जिम्मेदार होगा।

9– यदि किसी मद में धनराशि समर्पित की जाती है तो संबंधित कोषागार का प्रमाण–पत्र नोट कराना आवश्यक होगा। धनराशि समर्पित करते समय पर्याप्त औचित्य अवश्य अंकित करें अन्यथा समर्पण स्वीकार नहीं किया जायेगा।

10– एक बार धनराशि समर्पित किये जाने के बाद नियमानुसार निदेशक की लिखित स्वीकृति के बिना उस धनराशि को कोषागार से आहरित न किया जाय। अतः यदि समर्पण के बाद बिना अनुमति के कोई धनराशि कोषागार से आहरित की जाती है तो उसके लिये आहरण वितरण अधिकारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

11— यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि आहरित धनराशि के प्रत्येक बिल पर सही मुख्य, उपमुख्य, लघु, विस्तृत लेखाशीर्षक अवश्य अंकित किया जाय। ताकि महालेखाकार कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा न हो तथा प्रत्येक बिल के ऊपर दाहिनी ओर लाल स्याही से आयोजनागत शब्द अवश्य अंकित किया जाये जिसके लिये रबर की मोहर अधिक श्रेयष्कर होगी।

12— उपयुर्क्त पर होने वाला व्यय अनुदान संख्या—83 के अधीन लेखाशीर्षक —2515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम—आयोजनागत—789—अनुसूचित जाति के लिये विशेष घटक योजना— 04—पंचायतीराज संस्थायें—0401—सफाई कर्मचारी के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

13— शासकीय व्यय की मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या—सी0ए0—934/दस—2008—मित—1— 2007 दिनांक 2—9—2008 का विशेष रूप से पालन किया जाय।

14— नवसृजित जनपद भीमनगर, प्रबुद्धनगर एवं पंचशीलनगर में उक्त अधिष्ठान मद से आहरित सफाई कर्मचारियों का वेतन उनके पूर्व/मूल जनपद के जिला पंचायत राज अधिकारियों द्वारा आहरित कर सम्बन्धित कर्मचारियों को भुगतान किया जायेगा।

15— संबंधित आहरण वितरण अधिकारी आवंटित धनराशि व्यय का लेखा जोखा रखेंगें तथा व्यय की सूचना निम्नलिखित तिथि तक इस कार्यालय को निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें:—

1— कोषागार से आहरित धनराशि का मासिक विवरण बी0एम0—4 पर तथा कोषागार द्वारा उपलब्ध कराया गया रिकेन्सिलियेशन स्टेटमेंन्ट आगामी माह की 5 तारीख तक।

2— प्रारम्भिक व्ययाधिक्य तथा बचत विवरण दिनांक 30—7—2012 तक

3— व्ययाधिक्य तथा बचत का अन्तिम विवरण दिनांक 15—1—2013 तक

4— वर्ष 2012—13 में समर्पण यदि कोई हो तो की सूचना दिनांक 5—2—2013 तक

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या—81 पर अंकित है।

संलग्नक उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(वी0पी0 सिंह)
निदेशक,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

संख्याः 1/शा0/ 84 /1/2012 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1—प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश।
2—प्रमुख सचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग—2 उ0प्र0 शासन।
3—महालेखाकार सी0पी0 सी0—2 उ0प्र0 इलाहाबाद।
4—महालेखाकार लेखा एवं हकदारी प्रथम उ0प्र0इलाहाबाद।
5—वरिष्ठ उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15—ए, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0 इलाहाबाद।
6—विशेष सचिव बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण, उ0प्र0 शासन।
7—सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8—सम्बन्धित मण्डलीय उप निदेशक, (पं0), उत्तर प्रदेश।
9—तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 नवां तल बापू भवन लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि, उक्त आवंटन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

(मो0 मुस्तफा अन्सारी)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या–1/शा0/ 84 /2012–1/07/2012 दिनांक 26 सितम्बर, 2012 का संलग्नक
वित्तीय वर्ष 2012–13

2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–आयोजनागत–789–अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना–04–पंचायतीराज संस्थायें–0401 सफाई कर्मचारी के अधिष्ठान के अन्तर्गत व्यय हेतु धनराशि का आवंटन

अनुदान संख्या–83 (आयोजनागत)

(धनराशि ₹ में)

क्र0सं0	जनपद का नाम	01 वेतन	03–मंहगाई भत्ता	(06 अन्य भत्ता)	योग	कोषागार का प्रगामी योग
1	2	3	4	5	6	7
1	सहारनपुर	50392797	36786741	6263824	93443362	142562774
2	मुजफ्फरनगर	23823744	17391333	2961291	44176368	67420554
3	मेरठ	17495562	12771760	2174698	32442020	49523280
4	बुलन्दशहर	33734792	24626398	4193234	62554424	95450840
5	अलीगढ़	28104573	20516338	3493398	52114309	79627533
6	मथुरा	27732327	20244598	3447128	51424053	78474752
7	आगरा	25498851	18614161	3169507	47282519	72158067
8	मैनपुरी	21357609	15591054	2654750	39603413	60445870
9	एटा	25033540	18274484	3111669	46419693	70842085
10	बरेली	58548976	42740752	7277637	108567365	158502458
11	बिजनौर	31733968	23165796	3944532	58844296	89792139
12	बदायू	47740546	34850598	5934149	88525293	135061715
13	मुरादाबाद	55464654	40489197	6894256	102848107	156906924
14	शाहजहांपुर	21683326	15828827	2695237	40207390	61367056
15	पीलीभीत	33502140	24456562	4164316	62123018	94792856
16	रामपुर	28709471	20957913	3568587	53235971	81238298
17	फर्रूखाबाद	29407434	21467426	3655344	54530204	83212266
18	इटावा	21311080	15557088	2648967	39517135	60314278
19	कानपुर नगर	31501316	22995960	3915613	58412889	89134154
20	फतेहपुर	37550310	27411726	4667503	69629539	106241837
21	इलाहाबाद	70075306	51154973	8710360	129940639	198228564
22	झांसी	8328999	6080169	1035294	15444462	23598542
23	जालौन	33036829	24116885	4106477	61260191	93476873
24	हमीरपुर	16797599	12262247	2087941	31147787	47549312
25	बांदा	22474347	16406273	2793561	41674181	63604214
26	वाराणसी	34898059	25475583	4337828	64711470	98740777
27	मिर्जापुर	0	0	0	0	0
28	जौनपुर	74449200	54347916	9254035	138051151	201535619
29	गाजीपुर	74542258	54415848	9265602	138223708	210861934
30	बलिया	33222952	24252754	4129612	61605318	94003262
31	गोरखपुर	51463006	37567994	6396851	95427851	145589523
32	बस्ती	74681852	54517751	9282954	138482557	211256730
33	आजमगढ़	89013323	64979725	11064356	165057404	251788792
34	देवरिया	57884253	42255504	7195012	107334769	163749998
35	लखनऊ	19589444	14300294	2434967	36324705	55445169
36	उन्नाव	45925845	33525866	5708582	85160293	129929404
37	रायबरेली	13354320	9748653	1659941	24762914	37811082
38	सीतापुर	54906285	40081588	6824851	101812724	155327752
39	हरदोई	21590268	15760895	2683670	40034833	61103868

अनुदान संख्या--83 (आयोजनागत)

(धनराशि ₹ में)

क्र0सं0	जनपद का नाम	01 वेतन	03--मंहगाई भत्ता	(06 अन्य भत्ता)	योग	कोषागार का प्रगामी योग
1	2	3	4	5	6	7
40	खीरी	17681685	12907630	2197833	32787148	50040670
41	फैजाबाद	30849882	22520413	3834640	57204935	87291782
42	गोण्डा	27313545	19938887	3395073	50647505	77290363
43	बहराइच	24661294	18002744	3065398	45729436	69789303
44	सुल्तानपुर	15169021	11073385	1885509	28127915	42943394
45	प्रतापगढ़	52858932	38587020	6570365	98016317	149537458
46	बाराबंकी	53277707	38892726	6622418	98792851	150721832
47	ललितपुर	24056396	17561169	2990210	44607775	68078539
48	गाजियाबाद	17262903	12601919	2145778	32010600	48865282
49	कानपुर देहात	30338049	22146775	3771019	56255843	85844218
50	मऊ	55325060	40387293	6876904	102589257	156512127
51	सिद्धार्थ नगर	58209963	42493272	7235498	107938733	164671171
52	फिरोजाबाद	26894770	19633182	3343019	49870971	76105989
53	सोनभद्र	29500492	21535359	3666911	54702762	83475456
54	महाराज गंज	29939208	21855621	3721443	55516272	81071556
55	महोबा	11493090	8389955	1428591	21311636	32547180
56	संतरविदासनगर	0	0	0	0	0
57	कुशीनगर	40667872	29687546	5055016	75410434	115058879
58	अम्बेडकर नगर	18193518	13281268	2261454	33736240	51497234
59	गौतमबुद्धनगर	10841663	7914413	1347618	20103694	30704818
60	चन्दौली	40947060	29891353	5089719	75928132	115848471
61	हाथरस	17216374	12567953	2139995	31924322	48733888
62	बलरामपुर	20473530	14945676	2544859	37964065	57945525
63	सन्त कबीर न0	47321771	34544892	5882096	87748759	133877339
64	औरैया	8375535	6114140	1041079	15530754	23730150
65	कौशाम्बी	27220487	19870955	3383506	50474948	77027175
66	बागपत	9585331	6997291	1191456	17774078	27151680
67	कन्नौज	20659653	15081546	2567994	38309193	58471916
68	श्रावस्ती	13447385	9816591	1671509	24935485	38074285
69	ज्योतिबाफूलेनगर	25452315	18580189	3163722	47196226	72026459
70	चित्रकूट	6514305	4755442	809728	12079475	18466245
71	कांशीरामनगर	13680037	9986427	1700428	25366892	38732270
72	छत्रपति शाहूजी महाराजनगर	28709471	20957913	3568587	53235971	81238298
	योग	2300699465	1679510575	285976909	4266186949	

(₹ चार अरब छब्बीस करोड़ इकसठ लाख छियासी हजार नौ सौ उनचास मात्र)

(मो0 मुस्तफा अन्सारी)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायती राज, उ0प्र0।